

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/166/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/212

प्रवेश तिथि
21.07.2025

निर्णय दिनांक
06.05.2028

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र कन्नी जाति हरिजन निवासी ढहलावास, तहसील व जिला अलवर राज०।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01-श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

02- अप्रार्थी अनुपस्थित।

—निर्णय:-

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14 (4) भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न० 1140 रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 1140 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बरानी 2 भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज० कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

उक्त आराजी राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में स्थित है तथा ग्राम ढहलावास राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34)वन/2007 दिनांक 09.07.2012 से सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र है। अतः श्रीमान प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा नं. 1140 रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं, के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त विवादित आवंटित आराजी साबिक खसरा नंबर 629 मि० रकबा 3 बीघा व हाल खसरा न० 1140 रकबा 0.76 है० भूमि के आवंटी/अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र कन्नी जाति हरिजन


आ : रजिस्ट्रार (प्रथम)
अलवर (राज०)

हिस्सा पूर्ण सा0 सावडी अलोटी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 181 दिनांक 30.05.1977 द्वारा साबिक खसरा नंबर 629 मि0 रकबा 3 बीघा व हाल खसरा न0 1140 रकबा 0.76 है0 भूमि का रामचन्द्र पुत्र कन्नी को आवंटन गैर खातेदार का दर्ज व स्वीकृत किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा/आराजी पर मूल आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होना बताया गया है। उक्त आवंटन राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में किया गया है, जो राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित है। बफर क्षेत्र घोषित होने के कारण राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के अनुसार आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र कन्नी जाति हरिजन सा0 सावडी तहसील व जिला अलवर को हाल आराजी खसरा न0 1140 रकबा 0.76 है0 भूमि का किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(बीना महावर)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)